XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आवश्यक नहीं।
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ
राजस्व पुनरीक्षण वाद सं0– 39/2010

सीता राम साह, पिता स्व0 सुकल साह
साकिन–पारसमनी, थाना– सरसी, जिला– पूर्णियाँ.....आवेदकगण

बनाम

गुरू प्रसाद साह पिता स्व0 नथन साह एवं अन्य
साकिन–पारसमनी, थाना– सरसी, जिला– पूर्णियाँ.....विपक्षीगण

आदेश

आवेदक धारा 8 (5) बी.पी.पी.एच.टी. एक्ट अंतर्गत इस न्यायालय में विपक्षीगण के विरूद्ध यह वाद प्रारंभ किया है।

आवेदक के पिता मौजा–पारसमनी, खाता सं0–414, सिकमी खाता स0–43, खेसरा –1758 जमीन के सिकमीदार थे। आवेदक उपरोक्त जमीन के अंश पर भू–स्वामी की अनुमति से घर बनाकर रह रहा था। आवेदक प्रश्नगत जमीन के अंश पर घर बनाकर रह रहा था। इसलिए अंचलाधिकारी, धमदाहा के कार्यालय में बासगीत पर्चा वाद सं0–4/06–07 प्रारंभ किया। अंचलाधिकारी द्वारा आवश्यक प्रकियाओं को पुरा करने के बाद प्रश्नगत जमीन में 3 डिसमिल जमीन का पर्चा निर्गत करने का आदेश दिनांक 10.08.2007 को पारित किया इस प्रकार मौजा–पारसमनी खाता नं0 414, खेसरा नं0 1758, रकवा 3 डिसमिल जमीन का जमाबंदी आवेदक के नाम दर्ज हुआ ।

आवेदक का कथन है कि विपक्षी अनावश्यक रूप से आवेदक को परेशान कर रहा है और कईबार धारा–107 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत मुकदमा करवाकर आवेदक को परेशान करता रहा है। दिनांक 10.03.10 को विपक्षी कई लोगों के साथ मिलकर विपक्षी के घर को उजार दिया। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक को विपक्षी के आतंक से मुक्त करवाकर पुनः पर्चा में अंकित भूमि पर पुर्नवास हेतु आदेश देने की कृपा की जाय। जिससे आवेदक शांतिपूर्ण तीरके से जीवन यापन कर सके।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा वर्णित तथ्य निराधार है। पर्चा निर्गत करने से पूर्व भूधारी के नाम से नोटिस निर्गत नहीं किया गया। जमीन स्व0 भोलाई साह के नाम से था, फिर मृत व्यक्ति किस प्रकार सूचना को तामिला किए बगैर वापस कर देता। आवेदक सिकमीदार होने के आधार पर प्रश्नगत जमीन का पर्चा बनाने हेतु आवेदन दिया था जबकि सिकमी हक कृषि योग्य भूमि पर होती है न कि मकानमय सहन के लिए।

विपक्षी का कथन है कि विपक्षी के पिता को टाइटिल सूट नं0–823/59 द्वारा प्रश्नगत जमीन के खेसरा–1758 में एक डिसमील जमीन का स्वत्व मिला था और विपक्षी को मात्र एक डिसमील जमीन से संबंध है, जिस पर विपक्षी का घर बना हुआ है। विपक्षी द्वारा अंचलाधिकारी को जब मुंसफ न्यायालय का टाइटिल सूट का दिखाया गया तो अंचलाधिकारी ने भी स्वीकार किया कि पर्चा त्रुटिपूर्ण निर्गत हुआ। आवेदक झूठे तथ्यों के आधार पर पर्चा बनवाया है।

अतः विपक्षी इस न्यायालन से निवेदन करता है कि अंचलाधिकारी को आवेदक के नाम मात्र 2 डिसमील जमीन का पर्चा निर्गत करने का आदेश देने की कृपा की जाय।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट तारीख सहित
1	2	3

दिनांक 14.03.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि अंचल अधिकारी के न्यायालय में मेरे पक्ष में आदेश होकर पर्चा निर्गत होने के बाद आंशिक रूप से बेदखल हुआ है इसलिए बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के धारा 8(5) के तहत दखल कब्जा हेतु न्याय के लिए यह वाद दायर किया गया है। विपक्षी के द्वारा वासगीत पर्चा के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया जाना था परन्तु ऐसा ना कर बलपूर्वक वासगीत पर्चा की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बी0पी0पी0एच0टी0 अधिनियम के धारा 8(5) विलोपित हो चुका है। इसलिए न्यायालय में यह वाद विचार करने योग्य नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि बी0पी0पी0एच0टी0 अधिनियम की धारा 8(3) एवं 8(4) विलोपित हुआ है परन्तु धारा 8(5) लागू है, इसलिए उचित न्याय करने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नही है इसलिए आवेदक के आवेदन को स्वीकृति प्रदान करते हुए अंचल अधिकारी धमदाहा को निदेश दिया जाता है कि निर्गत वासगीत पर्चा में नियमानुसार दखल कब्जा हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अंचल अधिकारी या विपक्षी को पूर्व में निर्गत वासगीत पर्चा आदेश से कोई आपत्ति है तो उस हेतु इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

30/3/11

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/3/11

समाहर्त्ता
पूर्णियाँ